अनुकंपा नियुक्ति योजना

1. योजना का नाम:

05/08/2014 से प्रभावी इस योजना "अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना" कहा जाता है ।

2. कवरेज

2.1 हमारे बैंक के स्थायी कर्मचारी के परिवार के किसी आश्रित सदस्य को जो -

ए) सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है (आत्महत्या से मृत्यु सहित)

बी) 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले अक्षमता के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त हो गया हो। {इस प्रयोजन के लिए बैंक द्वारा नामित सरकारी मेडिकल कॉलेज/सरकारी जिला मुख्यालय अस्पतालों/डॉक्टरों के पैनल (अर्थात महाप्रबंधक, मानव संसाधन विंग) में विधिवत नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा अक्षमता प्रमाणित की जानी है।}

सी) लापता हो गया हो और उसने दो साल से अधिक की सेवा छोड़ दी है।

2.2 योजना के प्रयोजन के लिए, **"कर्मचारी"** का अर्थ है और केवल स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जो मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा आधार पर, 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले और इसमें अनुबंध/अस्थायी/आकस्मिक या कमीशन के आधार पर भुगतान किए गए किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है।

3. आश्रित परिवार सदस्य:

3.1 आश्रित परिवार के सदस्य शब्द का अर्थ है

3.1.1 पति या पत्नी; या

3.1.2 पूर्णतः आश्रित पुत्र (कानूनी रूप से दत्तक पुत्र सहित); या

3.1.3 पूर्णतः आश्रित पुत्री (कानूनी रूप से दत्तक पुत्री सहित); या

3.1.4 अविवाहित कर्मचारी के मामले में पूर्णतः आश्रित भाई या बहन

4. अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

4.1 प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)

4.2 कार्यकारी निदेशक एमडी और सीईओ का प्रभार धारण करते हैं

4.3 विशेष प्रकार के मामलों में निदेशक मंडल।

4.4 अन्य पात्र मामलों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय, जहां मृत कर्मचारी/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित थी या यदि मृत कर्मचारी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, धन गबन, धोखाधड़ी आदि में शामिल था।, बैंक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जारी रखेगा, जिसमें प्रत्येक मामले में बैंक के बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अर्थात एमडी और सीईओ द्वारा विचार और निर्णय की आवश्यकता होती है।

5. जिन पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं

योजनान्तर्गत नियुक्ति **लिपिक** एवं **अधीनस्थ कर्मचारी** संवर्ग में ही की जायेगी।

6. पात्रता

6.1 परिवार गरीब है और वित्तीय अभाव से राहत के लिए तत्काल सहायता योग्य है; तथा

6.2 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत सभी तरह से पद के लिए पात्र और उपयुक्त होना चाहिए।

7. छूट

7.1 योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति को निम्नलिखित आवश्यकताओं के पालन से छूट दी गई है:

7.1.1 सामान्य भर्ती प्रक्रिया अर्थात चयन की एजेंसी जैसे आईबीपीएस/रोजगार एक्सचेंज, बैंक का भर्ती बोर्ड आदि के बिना।

7.1.2 भारत सरकार या किसी नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी पदों को भरने पर प्रतिबंध के आदेश।

8. छूट

जहां भी आवश्यक हो अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। तथापि, न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

(नोट -1 : आयु पात्रता का निर्धारण आवेदन की तिथि के संदर्भ में किया जाएगा न कि नियुक्ति की तिथि के आधार पर;

नोट -2 : किसी मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसी नियुक्ति करने के लिए भी आयु सीमा में छूट देने के लिए सक्षम होगा)।

9. आवेदनों पर विचार करने के लिए समय सीमा

9.1 योजना के तहत पात्र आश्रित से रोजगार के लिए आवेदन पर चिकित्सा आधार पर मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख से सामान्य रूप से पांच साल तक विचार किया जाएगा और प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

9.2 हालांकि, बैंक अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर तब भी विचार कर सकता है, जब कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पांच साल पहले या उसके बाद हुई हो। ऐसे विलंबित अनुरोधों पर विचार करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा काफी हद तक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से राहत दिलाने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता से संबंधित है। तथ्य यह है कि परिवार इन सभी वर्षों में किसी हाल में प्रबंध करने में सक्षम रहा है, सामान्य रूप से इसे पर्याप्त प्रमाण के रूप में लिया जाएगा कि परिवार के पास निर्वहन के लिए कुछ भरोसेमंद साधन थे। इसलिए, ऐसे मामलों की जांच के लिए बहुत अधिक चौकसी की आवश्यकता होगी। अतः ऐसे मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय बोर्ड स्तर पर ही लिया जाएगा।

10. रिक्तियों का निर्धारण/उपलब्धता

10.1 अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल नियमित आधार पर की जाएगी और वह भी तभी, जब उस प्रयोजन के लिए नियमित रिक्तियां उपलब्ध हों।

10.2 अनुकंपा नियुक्ति लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों या अधीनस्थ कर्मचारी श्रेणी में निर्धारित रिक्तियों के अधिकतम 5% तक की जा सकती है। बैंक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पूरा करने के लिए 5% रिक्तियों पर रोक लगा सकता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए व्यक्ति को भर्ती रोस्टर में उपयुक्त श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जो उस श्रेणी पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है।

10.3 अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी, पुनर्विवाह के बाद भी।

11 जहाँ कमाने वाला सदस्य उपलब्ध है

ऐसे मामलों में जहां मृतक के परिवार का कोई सदस्य या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही रोजगार में है और मृतक कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों का समर्थन नहीं कर रहा है, वहां के सदस्यों के आर्थिक संकट का पता लगाने में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सुविधा बाधित न हो और इस आधार पर दुरूपयोग न हो कि पहले से कार्यरत परिवार का सदस्य परिवार का भरण-पोषण नहीं कर रहा है ।

12. लापता कर्मचारी

निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत लापता कर्मचारियों के मामले भी निहित हैं: -

12.1 अनुकंपा का लाभ देने के अनुरोध पर विचार कर्मचारी के लापता होने की तारीख से दो वर्ष बीत जाने के बाद ही किया जा सकता है बशर्ते कि;

(i) इस संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

(ii) लापता व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, और

(iii) सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि मामला सही है।

12.2 यह लाभ कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगा;

(i) जिस तारीख से वह लापता हुआ है उस तारीख को सेवानिवृत्त होने के लिए उसके पास दो साल से कम का समय हो; या

(ii) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में सम्मिलित होने का संदेह हो या विदेश जाने का संदेह हो।

12.3 लापता कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा जैसा कि अन्य के मामले में होता है और इस योजना के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित रिक्ति की उपलब्धता सहित सभी शर्तों को पूरा करने के तहत होगा;

12.4 इस तरह के अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस जांच के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

12.5 लापता कर्मचारी के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है;

- पुलिस में दर्ज शिकायत और प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
- पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतिम प्रमाणपत्र रिपोर्ट यह पुष्टि करती हो कि कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सकता है।
- कानून के अनुसार उपयुक्त स्टाम्प पेपर पर **अनुबंध IV** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति बांड सह शपथ पत्र ।
- **अनुबंध VI में दिए** निर्धारित प्रारूप के अनुसार दो प्रमुख स्थानीय व्यक्तियों का शपथ पत्र ।

12.6 अनुकंपा नियुक्ति के ऐसे किसी भी अनुरोध पर निर्णय बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

13 जहां कोई कर्मचारी 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले अक्षमता के कारण चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति/इस्तीफा के लिए आवेदन करता है वहाँ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

13.1 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल विकलांगता का अर्थ अक्षमता नहीं है। कर्मचारी की अक्षमता इस सीमा को माना जाए कि वह वैकल्पिक पद/स्थान/पोस्टिंग पर विचार किए जाने पर भी किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएगा/जाएगी।

13.2 जो कर्मचारी चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने का इरादा रखता है, वह शाखा/कार्यालय के माध्यम से संबंधित अंचल में मासप्र अनुभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जहां कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है, बैंक द्वारा आवश्यक प्रारूप के अनुसार विशेष रूप से बीमारी/बीमारी की प्रकृति, नाम का उल्लेख करते हुए इलाज करने वाले डॉक्टर का, अस्पताल में भर्ती होने का विवरण, दावा की गई प्रतिपूर्ति आदि।

13.3 ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी पूर्ण अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और यदि वह इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसे कर्मचारी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से उसकी ओर से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

13.4 यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी जिला मुख्यालय अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड या महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग द्वारा नामित डॉक्टरों का पैनल, प्रमाणित करता है कि कर्मचारी अक्षम है और सेवा जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारी के इस्तीफे/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध सेवा विनियमों/पेंशन विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को मानदंडों के अनुसार आवेदन पर निर्णय लेने के लिए रखा जाएगा।

13.5 तथापि, कर्मचारी को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि केवल अक्षमता के कारण त्यागपत्र/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करने का मामला नहीं होगा।

13.6 सेवा के दौरान स्थायी रूप से और पूरी तरह से अक्षम होने के कारण इस्तीफे/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध की जांच कर्मचारी के कार्यमुक्ति के बाद ही की जाएगी।

14 अनुग्रह राशि का भुगतान:

बैंक के पास दोनों विकल्प हो सकते हैं अर्थात अनुकंपा नियुक्ति या एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान। हालांकि, इन दोनों विकल्पों में से किसी एक का उपयोग तभी किया जा सकता है जब अनुकंपा नियुक्ति की अन्य शर्तें पूरी हों। ऐसे मामले में अनुग्रह राशि की मात्रा निम्नानुसार होगी :-

अनुग्रह की मात्रा:

अनुग्रह राशि की गणना कर्मचारी की शेष सेवा के प्रत्येक माह के लिए अंतिम आहरित सकल वेतन (करों के निवल) के 60% की दर से की जाएगी (अर्थात मौजूदा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु तक) नीचे उल्लिखित "अधिकतम राशि" की संवर्ग-वार सीमा के अधीन उसके बाहर निकलने का समय देय होगा।

अनुग्रह राशि पर संवर्ग-वार उच्चतम सीमा निम्नानुसार होगी:

श्रेणी	**अधिकतम राशि**
अधिकारियों	रु. 8.00 लाख
लिपिक कर्मचारी	रु. 7.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	रु. 6.00 लाख

15. मृतक कर्मचारी के परिवार के भरण-पोषण के लिए वचनबद्धता:

योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, **अनुबंध V** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में एक **वचनबद्धता देगा** कि वह परिवार के अन्य सदस्यों को उचित रूप से बनाए रखेगा जो मृतक कर्मचारी पर निर्भर थे, और यदि यह है बाद में (किसी भी समय) साबित हो गया कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या उनके द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति तुरंत समाप्त की जा सकती है। यह खंड केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में लागू नियुक्ति प्रस्ताव में शर्तों में से एक के रूप में शामिल किया जाएगा।

16. पद/व्यक्ति में परिवर्तन के लिए अनुरोध

जब किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर किसी विशेष पद पर नियुक्त किया गया है, तो परिस्थितियों के समूह, जिसके कारण ऐसी नियुक्ति हुई, को समाप्त माना जाएगा। इसलिए -

a) उसे भविष्य में उन्नति के लिए अपने सहयोगियों की तरह अपने करियर में प्रयास करना चाहिए और अनुकंपा के आधार पर किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति के किसी भी अनुरोध को हमेशा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

b) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और उसके लिए अनुकंपा के आधार पर किसी भी अनुरोध को सदैव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. वरिष्ठता

किसी विशेष वर्ष में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उस वर्ष सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि के माध्यम से भर्ती/नियुक्त सभी उम्मीदवारों में सबसे नीचे रखा जा सकता है, भले ही अनुकंपा के आधार पर उम्मीदवार के शामिल होने की तारीख कुछ भी हो।

18. सेवा की समाप्ति

अनुकम्पा नियुक्ति को किसी भी शर्त का पालन न करने के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के माध्यम से एक अवसर प्रदान करने के बाद नियुक्ति के प्रस्ताव में बताई गई अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया है कि उसकी सेवाएं क्यों होनी चाहिए। नियुक्ति के प्रस्ताव में शर्तों (शर्तों) का पालन न करने पर समाप्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है।

इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव में शर्तों का पालन न करने पर सेवा समाप्त करने की शक्ति केवल बैंक के एमडी और सीईओ के पास है।

19. सामान्य नियम

प्रक्रिया:

1. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने में सलाह देने और सहायता करने के लिए शाखा / संबंधित अनुभाग के अधिकारी मृत्यु के तुरंत बाद संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। आवेदक को पहले चरण में व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के बारे में सलाह दी जाएगी। इस संबंध में **अनुबंध III में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक पत्र** उनके द्वारा आश्रित परिवार को पावती के खिलाफ सौंपा जाएगा।

2. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर तीन अधिकारियों वाली अधिकारियों की समिति द्वारा विचार किया जाएगा; उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक के पद पर एक अध्यक्ष और दो सदस्य अर्थात उप महाप्रबंधक, मानव संसाधन विंग (अध्यक्ष) और वसूली, कानूनी और धोखाधड़ी रोकथाम विंग और सामान्य प्रशासन विंग से एक-एक कार्यकारी। सहायक महाप्रबंधक/मंडल प्रबंधक – मानव संसाधन स्कंध – संयोजक होंगे।

3. योजना के तहत प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनकी जांच करने के लिए जब भी आवश्यकता होगी समिति की बैठक होगी।

4. मामले के तथ्यों की बेहतर समझ के लिए, यदि आवश्यक हो तो आवेदक को समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति भी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में आवेदक को यात्रा आदि का खर्च वहन करना होगा।

5. समिति की सिफारिश को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। यदि सक्षम प्राधिकारी समिति की सिफारिश से असहमत हैं, तो मामले को निर्णय के लिए उच्च अधिकारी के पास भेजा जा सकता है। हालांकि, जहां कहीं भी निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी है, निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होता है।

6. अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी कि पद पर नियुक्त व्यक्तियों के पास प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप पद के लिए आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी योग्यता और अनुभव हो।

7. हालांकि, अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि कर्मचारी के परिवार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त किया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय, परिवार की वित्तीय स्थिति का संतुलित और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उसकी संपत्ति और देनदारियों (उपर्युक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त लाभों सहित) और अन्य सभी प्रासंगिक को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। एक कमाने वाले सदस्य की उपस्थिति, परिवार का आकार आदि जैसे कारक।

8. अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई रिक्ति होने पर संबंधित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति उपलब्ध कराई जाएगी यदि वह योजना के तहत योग्य एवं उपयुक्त पाया जाता है।

9. अनुकम्पा नियुक्ति को अधिशेष कर्मचारियों के अवशोषण और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर वरीयता दी जाएगी।

10. परिवार के सदस्यों की निर्भरता सुनिश्चित करते समय समय-समय पर द्विदलीय बंदोबस्त/संयुक्त नोट के तहत परिभाषित आश्रित की परिभाषा लागू होगी।

11. **एक आवेदन पत्र संलग्नक II** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है और मृतक कर्मचारी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों / चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के पात्र आश्रितों द्वारा 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना है। / लापता कर्मचारी, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश करने वाले कर्मचारी के पात्र आश्रित के नाम का प्रस्ताव।

- ❖ मृतक कर्मचारी के साथ आवेदकों के संबंध को दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ पूर्व कर्मचारी की मृत्यु का प्रमाण ।

- ❖ न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का आदेश जो अवयस्कों की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत है (यदि आवेदक अवयस्क है/हैं, यदि कानून के अनुसार कोई प्राकृतिक अभिभावक उपलब्ध नहीं है)।

- ❖ आयु के प्रमाण की प्रतियां, शैक्षिक योग्यता की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र, अंक सूची, हाल ही में पास पोर्ट साइज फोटो और ऐसे पात्र आश्रित उम्मीदवार के प्रशंसापत्र।

- ❖ सभी कानूनी वारिसों के फोटो पहचान पत्र की प्रतियां।

12. शाखा प्रभारी/अनुभाग/कार्यालय प्रभारी जैसा भी मामला हो, जहां मृतक कर्मचारी अंतिम बार काम कर रहा था, दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित करेगा और उस सीमा तक प्रमाणीकरण दस्तावेजों की प्रतियों पर अंकित किया जाएगा।

13. मासप्र अनुभाग, अंचल कार्यालय इसकी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आश्रित परिवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और इसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल किया गया हैं। यदि नहीं, तो आश्रित परिवार को लिखित रूप में 30 दिनों के भीतर विवरण प्रस्तुत करने के लिए विधिवत सूचित किया जाएगा कि यदि विवरण प्राप्त नहीं होता है तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध दर्ज किया जाएगा और बैंक इस संबंध में कोई अनुस्मारक नहीं भेजेगा। एचआरएम अनुभाग, अंचल कार्यालय, उनके द्वारा प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार करेगा।

14. मासप्र अनुभाग, अंचल कार्यालय इस प्रकार प्राप्त पत्रों को उनके विचारों के साथ कार्मिक प्रबंधन अनुभाग, मानव संसाधन विंग, प्रधान कार्यालय को एक महीने के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण कागजात प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अग्रेषित करेगा।

15. यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुमति दी जाती है, तो आवेदक द्वारा इंगित वरीयता को ध्यान में रखते हुए बैंक की आवश्यकता के अनुसार राज्य में कहीं भी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। हालांकि, एक बार सूचित किए जाने के बाद अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति के किसी भी अभ्यावेदन पर नियुक्ति/तैनाती में परिवर्तन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

16. अनुकंपा पर नियुक्त व्यक्ति को केवल उस तिथि से बैंक की सेवा में शामिल माना जाएगा, जब वह नियुक्ति आदेश में इंगित शाखा/कार्यालय को वास्तव में रिपोर्ट करता है।

17. यदि अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले शाखा/कार्यालय में शामिल नहीं होता है, जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, उसे कर्तव्यों में शामिल होने और उसे जारी नियुक्ति आदेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। /उसे स्वतः निरस्त माना जाएगा और उसके बाद इस योजना के तहत किसी और नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. यह योजना समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।

19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध किसी भी लाभ का दावा करने के लिए, अनुकंपा नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति के तुरंत बाद निर्धारित प्रारूप/सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. आवेदक आश्रित जो योजना के तहत आवेदन करता है, अधिकार के रूप में किसी विशेष पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। बैंक किसी भी पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच करेगा।

21. उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच किसी एक पद के लिए संबंधित अंचल कार्यालय के एक कार्यकारी और मासप्र प्रबंधक से मिलकर एक टीम द्वारा की जाएगी।

22. एक बार अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और लिखित रूप में अस्वीकृति की सूचना आश्रित परिवार/आवेदक को दी जाती है, तो किसी अन्य अनुरोध/ अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यहां तक कि प्रतिस्थापित आश्रित की नियुक्ति के अनुरोध पर भी विचार नहीं किया जाएगा और इसे दर्ज किया जाएगा। .

23. जिन मामलों में मृत्यु 05/08/2014 को या उसके बाद हुई है, केवल वे अनुकंपा नियुक्ति की इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे।

24. 04/08/2014 को लंबित आवेदन या 05/08/2014 को या उसके बाद जमा किए गए आवेदनों की मृत्यु / या अन्य पात्र परिस्थितियों में अनुग्रह / अनुकंपा नियुक्ति के लिए 04/08/2014 को या उससे पहले हुई, जैसा भी मामला हो प्रका परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 14/02/2005 और 262/2007 दिनांक 24/09/2007 के अनुसार जांच जारी रखी जाएगी।

25. बैंक डकैतियों के मामले में डकैतों / लुटेरों का विरोध करने या आतंकवादी हमलों के कारण हुई मौत के मामले में, मृत कर्मचारी के आश्रितों पर परिपत्र संख्या 243/2013 दिनांक 30.05.2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होना जारी रहेगा।

26. अनुग्रह राशि के मामले जो पूर्व की योजना के अनुसार पहले ही निपटाए/निवारण किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।